"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009.".



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 74] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च 2010—चैत्र 5, शक 1932

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-27/2010/वाक (आब)/पांच (31).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 8 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक एफ 10/2/2009/वाकर (आब)/पांच (06), दिनांक 22 जनवरी, 2009 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, ऐसी विदेशी मदिरा (बीयर को अपवर्जित करते हुए), जिसकी एक्स फैक्ट्री प्राईस रुपये 600/- (अक्षरी रुपये छः सौ) प्रति पेटी (अर्थात् 12 क्वार्ट बोतल) तक हो, का विदेशी मदिरा एफ. एल. 1 घ फुटकर दुकान से एफ. एल. 3 होटल बार अनुज्ञप्तिधारियों के लिए परिवहन प्रतिषिद्ध करती है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से प्रवृत्त होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2010

क्रमांक एफ 10-27/2010/वाक (आब)/पांच (31).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-27/2010/वाक (आब)/पांच (31), दिनांक 26 मार्च, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 26th March 2010

NOTIFICATION

No. F 10-27/2010/CT (Ex.)/V (31).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 8 of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915) and supersession of the previous Notification No. F 10/2/2009/CT (Ex.)/V (06), dated 22nd January, 2009 issued in this behalf, the State Government hereby, prohibits transportation of such Foreign liquor (excluding Beer) of which ex-factory price is up to Rs. 600/- (in words Rs. Six hundred) per case (i.e. 12 quart bottles) from F.L.1 D retail shop of Foreign liquor to the licencees of F.L. 3 Hotel Bar Licence.

2. This Notification shall come into force with effect from 01st April, 2010.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-27/2010/वाक (आब)/पांच (32).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (1) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. (1) प्ररूप एफ. एल. 2 की शर्त क्रमांक (7) के खण्ड (ख) में शब्द, समूह "रुपये तीन एवं पचास पैसे" के स्थान पर शब्द, समूह "रुपये बीस" प्रतिस्थापित किया जाये.

(2) प्ररूप एफ. एल. 3 की शर्त क्रमांक (4) के खण्ड (ख) में शब्द, समूह "रुपये पैंसठ तक और रुपये तीन और पचास पैसे" के स्थान पर शब्द, समूह "रुपये नब्बे तक और रुपये बीस" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. यह संशोधन दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2010

क्रमांक एफ 10-27/2010/वाक (आब)/पांच (32).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-27/2010/वाक (आब)/पांच (32), दिनांक 26 मार्च, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 26th March 2010

NOTIFICATIONS

No. F 10-27/2010/CT (Ex.)/V (32).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (g) and (h) of sub-section (2) read with the proviso to sub-section (3) of Section 62 of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government hereby makes the following further amendments in the Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996, namely :—

AMENDMENT

In the said Rules, —

1. (1) in clause (b) of condition No. (7) of Form F. L. 2 for the word, group "rupees three and paisa fifty" the word, group "Rupees Twenty" shall be substituted.

   (2) in clause (b) of condition No. (4) of Form F. L. 3 for the word, group "upto rupees sixty five and rupees three and paisa fifty" the word, group "upto Rupees Ninety and Rupees Twenty" shall be substituted.

2. This amendment shall come into force with effect from 01st April, 2010.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.